

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी : श्री प्रीतम कुमार IAS

करण सं० : 160/2022

अनवान :

धर्मपाल पुत्र रामजीलाल जाति मेघवाल निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।

:- वादी

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र आदराम जाति मेघवाल निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
2. रामेश्वर पुत्र रामजीलाल जाति मेघवाल निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
 - 2/1 संतोष पत्नी रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
 - 2/2 अजय प्रकाश पुत्र रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
 - 2/3 दर्शना पुत्री रामेश्वर पत्नी राजेश जाति मेघवाल निवासी अनूपशहर हाल निवासी बहादुरगढ़ जिला झंझर (हरियाणा)
 - 2/4 पुनम पुत्री रामेश्वर पत्नी पालाराम जाति मेघवाल निवासी अनूपशहर हाल निवासी मन्द्रपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. गिरदावरी पुत्री रामजीलाल पत्नी भगवानाराम जाति मेघवाल निवासी अनूपशहर हाल रूपावास तहसील चोपटा जिला सिरसा (हरियाणा)
4. माया पुत्री रामजीलाल पत्नी बलवीरसिंह जाति मेघवाल निवासी अनूपशहर हाल खेरपुर सिरसा तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
5. ओमकला पुत्री रामजीलाल पत्नी कृष्ण जाति मेघवाल निवासी अनूपशहर हाल भरोखा तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
6. रीटा देवी पुत्री रामजीलाल पत्नी रमेश जाति मेघवाल निवासी अनूपशहर हाल खेरपुर कलोनी सिरसा तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
7. माया देवी पुत्री रामजीलाल पत्नी श्रवण कुमार जाति मेघवाल निवासी अनूपशहर हाल छत्रपति, छतरगढ़ तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
8. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा अनुपशहर जरिए शाखा प्रबंधक अनुपशहर।
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री धर्मपाल बैरवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सतवीर बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अनूपशहर के खाता सं० 348/352 के खसरा सं० 352 की 2.0150 है०, ख० सं० 352/2 की 1.5890 है०, ख० सं० 895 की 2.7950 है० कुल खसरा 3 की कुल 6.3990 है० वादभूमि प्रतिवादी सं० 1 रामजीलाल के नाम दर्ज वादभूमि में प्रतिवादी सं० 1 रामजीलाल अकेले की बजाय वादी धर्मपाल, प्रतिवादी सं० 1 रामजीलाल, प्रतिवादी सं० 3 गिरदावरी, प्रतिवादी सं० 4 माया, प्रतिवादी सं० 5 ओमकला, प्रतिवादी सं० 6 रीटा देवी व प्रतिवादी सं० 7 माया देवी प्रत्येक को 1/8-1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं० 2/1 संतोष, 2/2 अजय प्रकाश, 2/3 दर्शना व 2/4 पुनम को संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22.2.24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



Preetam
(प्रीतम कुमार) I.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़